राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम, जयपुर–302015)
टेलीफैक्स : 0141–2222403 ईमेलः dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईटः www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.1(ग)( )का./एसएमई–।/डीएलबी/23/1357 दिनांक : 5/4/23

आदेश

राज्य की नगरीय निकायों में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश एवं अन्य स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के पश्चात् कुछ प्रकरणों में कांट–छांट कर फर्जी/कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आदेश प्रसारित किये गये है। ऐसे प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर इस संबंध में विभाग द्वारा पृथक से कानूनी कार्यवाही की जाकर कतिपय प्रकरणों में मुकदमें दर्ज करवाये गये है।

अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते है कि विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश एवं अन्य स्वीकृति आदेशों का विभागीय वेबसाईट एवं विभागीय ई–मेल आई.डी. से पुष्टि करने के पश्चात् ही आदेशों की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे।

06/04/2023

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक प.1(ग)( )का./एसएमई–।/डीएलबी/23/1358-1657 दिनांक : 5/4/23
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01.विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02.निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03.निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
05. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
06. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
07. समस्त अनुभाग प्रभारी, निदेशालय को निर्देशित किया जाता है कि अनुभाग द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों को विभागीय ई–मेल आई.डी. के द्वारा नगरीय निकाय को मेल करवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त सचिव), आई.टी. सेल निदेशालय को निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले समस्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
09. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक